

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-28062025-264220
SG-DL-W-28062025-264220प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5]	दिल्ली, जून 20—जून 26, 2025, बृहस्पतिवार/ ज्येष्ठ 30— आषाढ़ 5, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 100
No. 5]	DELHI, JUNE 20—JUNE 26, 2025, THURSDAY/ JYAISTHA 30— ASHADHA 5, 1947	[N.C.T.D. No. 100

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जून, 2025

संख्या एफ. 3/5/2021—न्यायिक/अधीनविधि/1102-1105.— भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 की धारा 6 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा रेवरेंड कोशी बेबी, कार्मेल कम्युनिटी चर्च ट्रस्ट, ए-2, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 को क्रिश्चियन विवाह लाइसेंस के नवीनकरण के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय क्रिश्चियनों के मध्य विवाह संपन्न कराए जा सकें तथा विवाह का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके, जो दिनांक 07.12.2024 से दिनांक 06.12.2027 तक आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अनिता दयाल, उप-सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION

Delhi, the 20th June, 2025

No. F. 3/5/2021-Judl./Suptlaw/1102-1105.— In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the Indian Christian Act 1872, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord approval to the renewal of Christian Marriage License to Rev. Koshy Baby, Carmel Community Church Trust, A-2, DDA Flats, Kalkaji, New Delhi-110019, to solemnize marriages between Indian Christians within the National Capital Territory of Delhi and to grant certificate of marriage, for a further period of three years with effect from 07.12.2024 to 06.12.2027.

By order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
ANITA DAYAL, Deputy Secy.